न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल।

फौ0 वाद संख्या 303 / 2022

सरकार बनाम भगवान सिंह

.....

दिनांक 16.08.2022

प्रार्थी / अभियुक्त भगवान सिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री डीपी खरे उपस्थित। मेमो आफ एपेरियन्स पेश किया गया। अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की ओर से दोषी होने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के विरूद्व धारा 184,185 मोटर वाहन अधिनियम का अभियोग है। दोषी होने का अभिवचन प्रस्तुत किये जाने के आधार पर अभियुक्त को अ0धारा 184,185 मोटर वाहन अधिनियम में रू0 11000 / –(ग्यारह हजार रूपया) से दण्डित किया जाता है जुर्माना अदा न करने के व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त को 01 दिन के साधारण कारावास से दण्डित किया जायेगा।

(चन्द्रेश्वरी सिह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र0श्रे0
श्रीनगर पौडी गढवाल।